

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/30/2022/ 87

दिनांक :- 9 /02/2022

निमित्त :

श्री दिलीप दत्त शर्मा
निवासी- 3-ई-9, दादाबाड़ी,
कोटा (राज0)

विषय :- संशोधित ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनाय) खसरा नं0 507 से 509 व 511, 514, 522, 522/563, 523/1, 607/523, ग्राम नयाखेड़ा क्षेत्रफल 50100 वर्गमीटर के के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आवेदन दिनांक 1/6/2020

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हैक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23/9/2021 में लिये गए निर्णयानुसार संशोधित ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरांत योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है -

- (1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।
- (2) नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- (3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) योजना में दर्शाये गए EWS/LIG के भूखण्डों का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार करना होगा।
- (5) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 36 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यास के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत 3 वर्ष तक रख-रखाव करना होगा। यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (6) भूखण्डों पर निर्माण न्यास से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।
- (7) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे योजना में किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (8) रैनवाहटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राईट आफ वे' दिया जावेगा।
- (9) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें न्यास में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।
- (10) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारु रूप से हो सके।
- (11) आंतरिक विकास कार्य के पेटे 12.5 % विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड सं0 O-023 से O-051 कुल भूखण्ड 29 क्षेत्रफल 3656 वर्गमीटर) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग न्यास द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि

(Signature)

जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉगेज डीड संपादित करवायें।

- (12) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (13) समय-समय पर राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
- (14) टाउनशिप पॉलिसी-2010 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।
- (15) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान

(राजेश जोशी)
सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/30/2022/

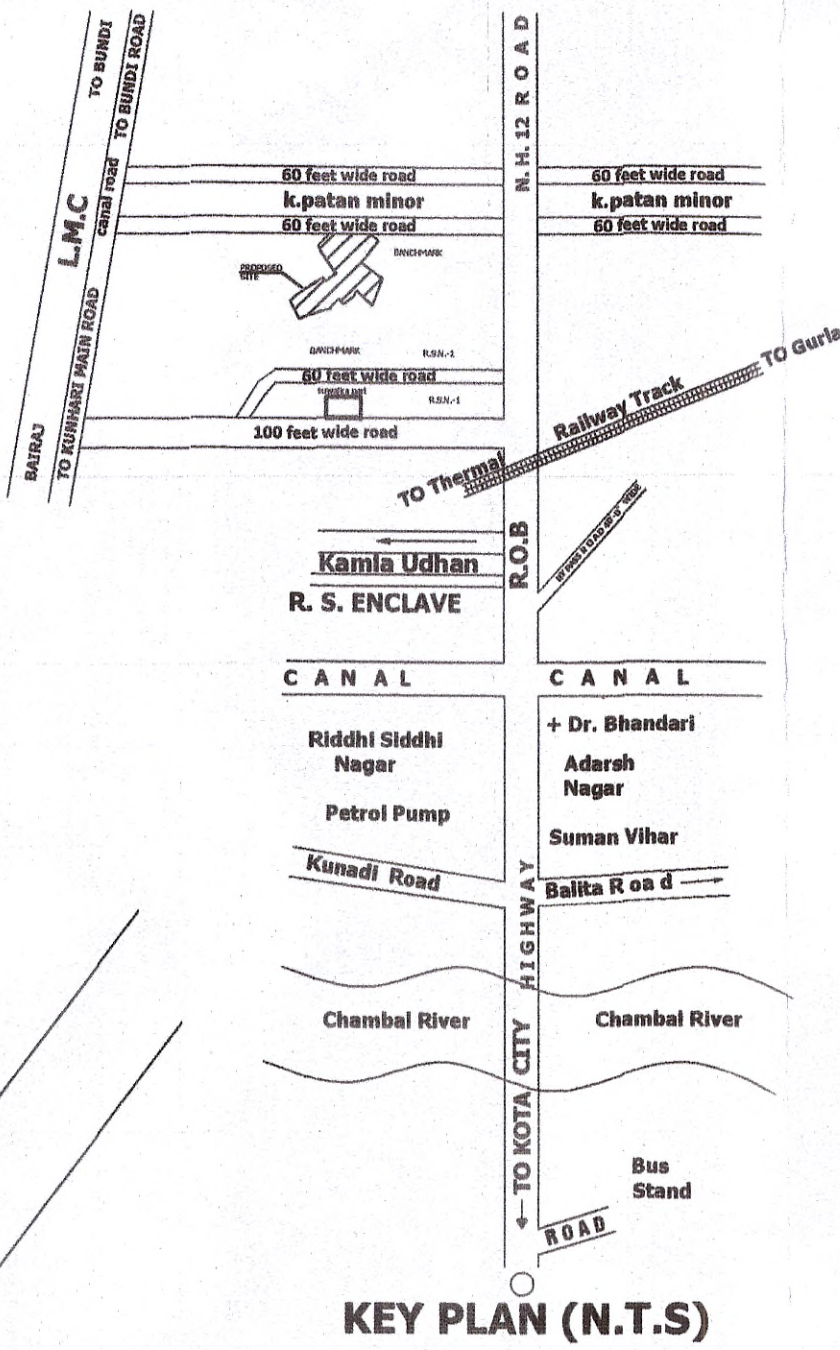
दिनांक :- 10/2/2022

प्रतिलिपि :-

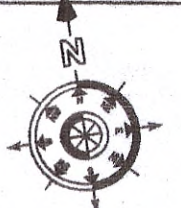
- 1- उप सचिव (.....), नगर विकास न्यास, कोटा। को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉगेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत मुक्त किये जा सकेंगे।
- 2- अधिशाषी अभियंता (.....) को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवम् समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चिता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(महावीर सिंह मीना)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR
RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT
VILLAGE :NAYAKHERA, TEH.
LADPURA, DIST. KOTA
(RAJ.)KHASRA
NO.-507,508,509,511,514,
522,522/563,607/523,&523/1



S.NO	PARTICULARS	AREA IN SQM	AREA %
1.	PLOT - 156 NOS	23011	45.93%
	E.W.S - 26 NOS	2570	5.13%
	L.I.G - 19 NOS		
	TOTAL PLOT AREA	25581	51.06%
2.	I.C (NO. OF SHOP-42)	910	1.82%
3.	COMM.	2095	4.18%
4.	PARK	2538	5.07%
5.	P.U	2512	5.01%
6.	O.C.F	840	1.68%
7.	SECTOR ROAD	1662	3.32%
8.	ROAD AREA	13962	27.86%
	TOTAL	50100	100%



SCALE = 1cm=30mtr

संशोधित ले-आउट प्लान (अवधीय प्रयोजनार्थ) करण नं० 507 से 509 व 511, 514, 522, 522/563, 523/1, 607/523, गाम नयकहेरा क्षेत्रफल 50100 वर्गमीटर (Mark-A to T)

ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 23/9/2021 में तैयार हुए विनियमनानुसार विन शर्तों के साथ संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

Residential	I.C.	Comm.	Park
25440.6 Sqm	910 Sqm	2095 Sqm	2538 Sqm
50.78 %	1.82 %	4.18 %	5.07 %
Facility	O.C.F.	Under Sector Road	Road Area
2512 Sqm	840 Sqm	1662 Sqm	14102.4 Sqm
5.01 %	1.68 %	3.32 %	28.14 %

Total Area - 50100 SQM

(i) प्लान सड़क का मापनिकर व्युत्पन्न 60 फीट रखा जावे।
(ii) राजस्थान पोलिसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जावे।
(iii) योजना में दर्शाए गए EWS/LIG के भूखण्डों का विनियमन मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार करना होगा।
(iv) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत राजस्थान पोलिसी-2010 के अनुसार तत्कालीन प्रस्तुत करने होंगे एवं तकनीकी का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरंत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
(v) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 3(77)नवि/3/2009 पर्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
(vi) नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जावे होंगे।

दिनांक 03/02/2022
नगर विकास विभाग, कोटा

नोट :-

योजना के आंतरिक विकास के पेटे विनियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड नं० 0-023 से 0-031 कुल भूखण्ड 29 क्षेत्रफल 3656 वर्गमीटर आवंटित किये जाते हैं, जिनमें पेटे रेंज से रखाया गया है। 12.5 प्रतिशत आवंटित भूखण्ड को रेंज रखे जाने हेतु योगेश डीड रजिस्ट्रार करवावे। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरंत विनियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।

S.NO	KHASRA NO	AREA IN HACT.
1.	507	1.06
2.	508	0.97
3.	509	1.00
4.	511	0.02
5.	514	0.06
6.	522	0.40
7.	522/563	0.38
8.	607/523	0.56
9.	523/1	0.56
10.		
11.		
12.		
	TOTAL	5.01
	TOTAL AREA 5.01 HACT.	